अतः पत्रावली ... पालना में पेश ...
के पूर्व आदेश की पालना

08/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप. वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा राजगढ़, पटवार हल्का भूणोल, तहसील-रेवदर के खसरा नं. 63 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा में वादीगण का पैतृक सम्पत्ति होने के नाते हक अधिकार निहित है, जबकि वादग्रस्त आराजी में फौतेदगी नामान्तकरण में लखमा को मोतीजी का गोद पुत्र होने के नाते मोतीजी के हक हिस्से की आराजी में हिस्सा मिलना था, लेकिन गलती से पटवारी ने वक्त नामान्तरकरण लखमा के पुत्र के रूप में प्रेमा का नाम दर्ज कर दिया, जबकि प्रेमा लखमा का पुत्र नहीं होकर भाई का पुत्र था।

...श हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

इस प्रकार निषेधाज्ञा को [illegible] कर
सुना गया जो हक अधिकार से वंचित
कर दिया अतः रोक सम्पत्ति में किसी
को हक अधिकार से वंचित करना
विधि के अनुरूप नहीं है। गलतनामा का
ऐसा मामला उजागर प्रतिवादीगण वादग्रस्त
आराजी को बेचान करने की फिराक में
हैं जिससे वाद की बहुलताएं बढ़
जाएगी। अतः अपूरणीय क्षति वादीगण
को होना संभावित है तथा सुविधा का
संतुलन रखने हेतु प्रतिवादीगण को वादग्रस्त
आराजी के बेचानी वसीयत/हस्तान्तरण
पर रोक लगाया नितान्त आवश्यक है।
वकील प्रतिवादी को सुना गया।
उन्होंने हस्तान्तरण नहीं करने तथा
निषेधाज्ञा जारी करने का विरोध किया।
पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया
गया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के
पक्ष में है तथा वादी को अपूरणीय क्षति
होने की संभावना से इंकार नहीं किया
जा सकता, अतः वादग्रस्त आराजी में
ता फैसला मूल वाद यथास्थिति बनाये
रखें। कब्जे काश्त में उभयपक्ष हस्तक्षेप
नहीं करें तथा किसी प्रकार से रहन/
हस्तान्तरण/बेचान/वसीयत/बख्शीश
ना करें।

पत्रावली फैसला शुदा होकर दर्ज
नम्बर से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर